

प्राधिकार से प्रकाशित असम्बद्धाः क्रम्य असम्बद्धाः

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं• 26]

नई विस्ली, शनिवार, जुन 28, 1975/ग्रावाक 7, 1897

No. 26]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 28, 1975/ASADHA 7, 1897

इस भाग में भिग्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II---खण्ड 3---उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संव राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के बाबेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल मजिवालय

(कार्मिक ग्रौर प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई विल्ली, 12 जून, 1975

सा० का० नि० 781 .— प्रशिवल भारत सेवा प्रधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदक्त णक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, सम्बद्ध राज्यों की सरकारों से परामर्ण करने के पश्चात्, भारतीय बन सेवा (वैतन) नियम, 1968 में ग्रीर संशोधन करने के लिये निम्नसिखित नियम बनाती है, ग्रर्थात्:—

- (1) इन निथमों का नाम भारतीय बन सेवा (बेतन) द्वितीय संशोधन नियम, 1975 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाणन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 में, नियम 7 में, परन्तुकों के पश्चात् ग्रीर स्पष्टीकरण से पूर्व निस्निलिखित परन्तुक अन्तः-स्थापित किया जायेगा, प्रथात् :----

"परन्तु यह ग्रीर भी कि सीक्षे भर्ती किये गये या भारतीय बन सेवा भर्ती) नियम, 1954 के नियम 7-क के श्रनुसरण में भर्ती किये गये किसी श्रक्षिकारी के बारे में, जिसे विभार्गीय परीक्षा या परीक्षाम्रों में पूर्णतः या उसके किसी भाग में बैठने से इस कारण छूट प्राप्त है कि उसने उस परीक्षा या परीक्षाम्रों या उसके किसी भाग को, सेवा का सदस्य होने के पूर्व, पहले ही पास कर लिया है इस नियम के प्रयोजनार्थ, यह समझा जायेगा कि उसने यथारियति विभागीय परीक्षा या परीक्षाम्रों या उसके किसी भाग की ऐसी पूर्वतम परीक्षा, परीक्षाम्रों या उसके भाग की तारीख से उसीर्ण कर लिया है, जिसमें वह, यदि छूट प्राप्त न होती तो, सेवा का सदस्य वनने के पण्चात् बैठता।"

[संख्या 1/8/74-ए० आई० एस० (2)-सी०]

ए० के० गुप्ता,

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 12th June, 1975

G.S.R. 781.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, namely:—

सूचना श्रौर प्रसारण मंत्रालय नई विल्ली, 11 जून, 1975

सा० का० नि० 801.---संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त णक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-2 पद) ~ भर्ती नियमावली 1962 में श्रितिरिक्त मंशोधन करने के लिये एसदुद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रर्थातः—

- ा. (1) इन नियमों को श्राकाणवाणी (श्रेणी-2 पद्र) भर्ती (तृतीय संणोधन) नियमावली, 1975 कहा जा सकेगा।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्न में प्रकाणित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2 श्राकाणवाणी (श्रेणी-2 पद) भर्ती नियमावली, 1962 की श्रनुसूची में, कम संख्या 6 तथा तत्सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित कम संख्या तथा प्रविष्टियों प्रतिस्थापित की जायेंगी, प्रथातुः—

|--|

ग्रन् यूष ी												
1 2	3	4	5	6	7	8						
6. लेखा परीक्षक	3 सामान्य केन्द्रीय सेता, श्रेणी-2 राजपश्चित प्रलिपिक वर्गीय		840-40-1000-द० रो०-40-1200 स्पर्ये (संगोधित)	नयन	लागू नहीं होता	स्रागृ नर्ही होता						
	·											
9	10	11	12		13	1 4						
लागू नहीं होता	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, इसके स्रक्ते पर प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा	त पर आकाणवाणी के वे कारी जो 6 880-द ० रोज वेतनमान में ह की सेवा हो विभागीय परोक्षा परीक्षा की या परीक्षा की या परीक्षा की या परीक्षा की या सकेगी जे के हो चुके है कलर्ज / लेखाका लिये आकाणव द्वारा ली गई पहले ही पार प्रतितियुक्ति प किसी भी सुब्यर्ज उदाहरणार्थ एकाउन्द्स हिफोंन ए मेंट और इंडि डिपार्ट मेंट से प्रधिकारी या। कार के दर्जे वे की इस ग्रेड में	50-30-740-3 -40-960 रुपसे ों इस ग्रेड में 5य गई हो, इसवा ापास करनी होगी तंकी छूट उ धिकारियों को ा 45 वर्ष की श्र ई, बशर्ते कि बे र के पद भरने साणी महानिदेणा ं विभागीय परी स कर चुके हो र स्थानान्तरण स्थल लेखा विभ	5- के पं ति ति दी प्युड के स्मा साग एंड इयम एंड देम दिक्षा ' ' इयम एंड इयम एंड इस हो ।	र्जमा कि संघ लाक संज्ञा ग्रायांग (परामणें से छूट) त्रिनियम, 1958 के ग्रन्तर्गत ग्रपेक्षित हैं।						

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 11th June, 1975

- G. S. R. 801.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, namely:—
 - 1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class II Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1975.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, for serial number 6 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—-

SCHEDULE

	3	4			6	 7		- · 8	
"6 Inspector Accounts		General Central Service Class II. Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 840-40 1 40-1200 (F		Selection	Not app	blicable	Not a	pplicable
9	10	11			12		1.3		14
				Promot	ion :	"			·, -, <u></u>
Not applicab	le 2 years	By promoti which by t deputation	ransfer on	grade 880-E Radic service to pa test. able minis have years alread ments the D India of the	strative Office of Rs. 650-3 (B-40-960) in that least ein that graces in a dept trative Office attained the provided to the pr	0-740-35- All India t 5 years' te subject attmental on relax- nose Ad- ers who age of 45 hey have t depart- ucted by eneral, All filling up ad Clerk/	Class II Departmen Promotion Committee	ı(a.l	as required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958."
					of the				
				Acco SAS years from Acco exam Acco India Depa Raily ment (Period	unts/Audit C Accountant 'service in any of the unts Departman Aunts Departman Defence artment and way Accounts of deputation of the control o	officers or with 5 the grade organised nents, for Audit and partment, Accounts Indian 5 Depart- on -ordi-			

[F. No. 17/9/69-B(A)] M. L. TANDON, Under Secy.

संचार मन्नालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 17 जून, 1975

सा० का० नि० 802-ं-संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा डाक-तार विभाग (भोटर और लागी ज़ाइबर) भर्ती नियम, 1959, का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति डाक-तार विभाग के मोटर, जीप और लारी ड्राइवर संवर्ग के उम्मीदवाणें की भर्ती का नियमन करते हुए एसड्डारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, ग्रथीय:----

- 1. लघु णीर्षक तथा प्रारम्भः-- (।) ये नियम डाक-तार विभाग (मोटर, जीप ग्रौर लारी बृहद्वर) भर्ती नियम, 1975 कहलायोंगे।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।